



63

॥श्री॥

रा.पुन.क.अ-१२/२०१७-१८
पेशी ता. १९/०३/२०१८

श्री. वि. सु. सु. सु. सु. सु.
का. प्र. अ. २०-३-१८
का. प्र. अ. सु. सु. सु. सु. सु.
B
२०-३-१८

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
कैम्प इन्दौर (म.प्र.)

PBR/किगरानी/खरगोन/भू.अ/२०१८/२०९०
पुनरीक्षण अर्ज :- अन्तर्गत धारा ५० म.प्र.भू.रा.स.

मुकेश पिता स्व. बिहारीलाल वर्मा जाति खटीक उम्र ५२ वर्ष
धंधा कृषि निवासी ग्राम पिपल्याबुजुर्ग तह.महेश्वर जिला खरगोनपुनरीक्षणकर्ता
विरुद्ध

सुरेन्द्र पिता हरीराम सिन्हा जाति सिरवी उम्र ५० वर्ष
धंधा कृषि निवासी ग्राम पिपल्याबुजुर्ग तह.महेश्वर जिला खरगोनप्रत्यर्था

वाद :- सीमांकन बाबदा।

इसमे पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निवेदन है कि :-

सदर पुनरीक्षण अर्ज श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार महोदय टप्पा करही तहसील महेश्वर जिला खरगोन म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमांक १२अ-१२/२०१७-१८ मे पारीत आदेश दिनांक १९/०२/२०१८ से असंतुष्ट होकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की है। साथ मे आदेश की प्रमाणीत प्रतिलिपी संलग्न है। राजस्व प्रकरण क्रमांक १२अ-१२/२०१७-१८ से संबंधित दस्तावेजो की छायाप्रतिया फैंहरिस्त प्रमाणे अवलोकन हेतु संलग्न है।

मुकेश सु. सु. सु. सु. सु.

Handwritten signature

PBR/R/बलगोन/Kevi/2018/2030

17-10-18

Dr. P. P. P.

आवेदन अर्जित की प्रमुख बातें हैं
कानून अर्जित की आज्ञा का ब्रह्मण्डल अर्जित
आवेदन अर्जित कोरा वलाया गता
कि प्रकरण को आगे चलाना नही
चाहते। इस कारण प्रकरण को
उपरु में समाप्त किया जाता है।

अर्जित

अर्जित

अर्जित
17/10/18

अर्जित
17/10/18

अर्जित
17/10/18